

प्रेषक:-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबन्धक

माउण्ट लिट्टा जी स्कूल, बैराज रोड बिजनौर, विकास खण्ड-मौ०पुर देवमल  
जनपद-बिजनौर।

पत्रांक:बेसिक/मान्यता/२३००-०५ /2014-15 दिनांक १-०१-१५  
विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन  
के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15  
के उप नियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के प्राप्य पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं माउण्ट लिट्टा जी स्कूल, बैराज रोड बिजनौर, विकास खण्ड-मौ०पुर देवमल (बिजनौर) को दिनांक 01-07-2014 से 30-06-2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये अग्रेजी माध्यम से कक्षा-नर्सरी से कक्षा-३ तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

- उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है
- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
  - 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010(उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
  - 3 विद्यालय कक्षा-1 में(या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गी और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक सम्पन्न करेगा।
  - 4 पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रस्ताव बैंक खाता रखेगा।
  - 5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
  - 6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
  - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
  - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकतम न्यूनतम अवस्थाओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास यह अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
  - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
  - (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में भागीदार नहीं करेगा।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

PRINCIPAL  
MERITTA PUBLIC SCHOOL  
(Sr. Secondary)  
BIJNOR-246701

For Meritta Public School  
Auth. Signatory

- 8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।
- अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-11445.00 वर्ग मीटर।
  - (2) कुल निर्मित क्षेत्रफल-भूतल पर 1437.89 वर्ग मीटर, प्रथम तल पर 1348.02 वर्ग मीटर, द्वितीय तल पर 336.77 वर्ग मीटर।
  - (3) कीड़ास्थल का क्षेत्रफल-खेल का मैदान उपलब्ध है।
  - (4) कक्षाओं की संख्या-19
  - (5) प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह मण्डार के लिए कक्षा-03
  - (6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- उपलब्ध है।
  - (7) पेयजल सुविधा-उपलब्ध है।
  - (8) मिड डे मील पकाने के लिये रसोई-योजना लागू नहीं है।
  - (9) बाधा रहित पहुँच-है।
  - (10) अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।
- 9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिये किया जायेगा।
- 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12 स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए।
- 14 प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 02 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-2 पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

(वेदराग)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर

पृ0सं0: बेसिक/

/2014-15 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
2. सचिव, उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद-बिजनौर।
5. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-बिजनौर।

For Meritta Public School

Auth. Signatory

PRINCIPAL  
MERITTA PUBLIC SCHOOL  
(Sr. Secondary)  
BIJNOR-246701

बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर